

FORM 'A 2'
ACKNOWLEDGEMENT
{See Clause 8(3)}



141
620

Letter No- 5/F- 143/96

896

/Agri., Patna, Dated 06/08/2018

Received from M/s Durga Chemicals & Fertilizers. a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 by Treasury Challan bearing number 00010 Dated 21-02-2017 deposited in State Bank of India, Bailey Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied (as mentioned in table below) for a period 3 years from date of issue unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna
Date.....

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 241

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s Durga Chemicals & Fertilizers Style- Wholesale Dealer	Industrial Estate, Lakhisarai- 811311	Industrial Estate, Lakhisarai- 811311	1-Micro Nutrient Mixture Bihar Grade-IV.	Self Manufactured.

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

Mr. Janardan Prasad
M/s Durga Chemicals & Fertilizers
R/o Vill- Dharamraichak,
Po/ PS- & Distt- Lakhisarai.

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

Memo No- 896

/Agri., Patna, Dated 06/08/2018

Copy forwarded to All Joint Directors of Agriculture & District Agriculture Officers for kind information and necessary action.

Amit Kr. Assistant
Sanjay Kumar Joint Director (Agro)

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

(140)
622

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

उर्वरक प्रशाखा

897

/क०, पटना, दिनांक, 06/08/2018

पत्र संख्या- 5/F-143/96

प्रेषक,

हिमांशु कुमार भा० प्र० से०,
कृषि निदेशक, बिहार, पटना

सेवा में,

मे० दुर्गा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर्स
इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
लखीसराय, पिन- 811311

विषय : उर्वरक विपणन प्राधिकार पत्र एवं आवश्यक शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके विपणन प्राधिकार पत्र संख्या 241 दिनांक 06/08/2018 को वैधता तिथि- 05/08/2021 तक के लिए निर्गत किया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन क्रिया जाएगा।
2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश, के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति।

विश्वासभाजन




(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक : 06/08/2018

ज्ञापांक : 897

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरक का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।



कृषि निदेशक, बिहार, पटना



(अमित कुमार)
सहायक



(संजय कुमार)
संयुक्त निदेशक (शष्य)